



63/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1763 / 05 / 76 / एक / 2013-14
सेवा में,

दिनांक : 09 सितम्बर 2013

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा झूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। eA

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-
(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की धनराशि	बैंक/खात I संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीनपुर बगही में कब्रिस्तान के गेट से हाजी सुल्तान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.070	0.535	0.060	0.475	PNB 031600 010240 4003
2	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीनपुर बगही में मौलवी मुख्तार अंसारी के घर से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.610	0.805	0.090	0.715	
3	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में अरफाक के घर से कब्रिस्तान के बाउन्ड्री तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.670	1.835	0.200	1.635	
4	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में नेसार अंसारी के घर से मदरसा मरकजी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.610	0.805	0.090	0.715	
5	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में सेराज अंसारी के घर से मझालू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.070	1.535	0.170	1.365	
6	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में मुहम्मद के घर से एकलाख अंसारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.160	1.580	0.180	1.400	
7	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में हाजी फैयाज अंसारी के घर से महबत अंसारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.410	0.705	0.080	0.625	
8	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में शकील अहमद अंसारी के घर से पोखरी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.470	0.735	0.080	0.655	
9	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में हबीब राजा अंसारी के घर से शबीर अंसारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.270	1.135	0.130	1.005	
10	मऊ	न०प० घोषी	मो० करीमुद्दीन बगही में असरफ अंसारी के घर से मोलाना निजामुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.300	1.150	0.130	1.020	



63/2

नव बेताना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

11	मऊ	न0प0 घोषी	मो0 करीमुददीन बगही में जमेतुल बर्कात मदरसा से फेजुल हसान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.160	1.580	0.180	1.400
12	मऊ	न0पा0प0 मऊ	मो0 नवापुरा (बड़ी कम्हरिया) में रामजश के घर से राम बली के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	19.800	9.900	1.100	8.800
13	मऊ	न0पा0प0 मऊ	मो0 नवापुर (बड़ी कम्हरिया) में कैलाश के घर से रामचन्द्र के घर होते हुए गंगा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	7.860	3.930	0.440	3.490
14	मऊ	न0पा0प0 मऊ	मो0 नवापुर (बड़ी कम्हरिया) में प्रहलाद के घर से सुधाकर के घर होते हुए गंगा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	4.010	2.005	0.220	1.785
15	मऊ	न0पा0प0 मऊ	मो0 नवापुर (बड़ी कम्हरिया) में सुरेमन के घर से ओमप्रकाश के घर होते हुए गंगा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	7.460	3.730	0.410	3.320
योग				63.93	31.965	3.56	28.405

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6- उक्त धनराशि झूठा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित गद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



62/3


दूरभाष- 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।


भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त. नियन्त्रक